प्रेस विज्ञप्ति

14.06.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ज़ोनल कार्यालय ने अवैध खनन मामले में धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अब्दुल वहीद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट से संबंधित ग्लोकल यूनिवर्सिटी सहारनपुर की 4,440 करोड़ रुपये कीमत की 121 एकड़ जमीन और इमारत को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ये सभी संपत्तियां अब्दुल वहीद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर पंजीकृत हैं। ट्रस्ट का नियंत्रण, प्रबंधन और संचालन मोहम्मद इकबाल, पूर्व एमएलसी और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

ईडी ने सीबीआई नई दिल्ली द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत जिला सहारनपुर (उ.प्र.) में रेत खनन पट्टों के अवैध नवीनीकरण से संबंधित खनन पट्टा धारकों महमूद अली पुत्र स्वर्गीय अब्दुल वाहिद, दिलशाद पुत्र स्वर्गीय मकसूद, मोहम्मद इनाम पुत्र स्वर्गीय अब्दुल वाहिद, महबूब आलम (अब दिवंगत), नसीम अहमद पुत्र स्वर्गीय अब्दुल गफूर, अमित जैन पुत्र स्वर्गीय नरेंद्र कुमार जैन, विकास अग्रवाल, मो.वाजिद पुत्र हाजी मोहम्मद इकबाल, मुकेश जैन पुत्र स्वर्गीय नरेंद्र कुमार, पुनीत जैन पुत्र स्वर्गीय नरेंद्र कुमार जैन, सहारनपुर के कुछ सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। ।

ईडी की जांच से पता चला है कि सभी खनन फर्मों का स्वामित्व और संचालन मोहम्मद इकबाल समूह द्वारा किया जा रहा था। ये फर्म सहारनपुर और आस-पास के इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन में शामिल थीं। आईटीआर में मामूली आय दिखाए जाने के बावजूद, खनन फर्मों और मोहम्मद इकबाल की समूह कंपनियों के बीच बिना किसी व्यापारिक संबंध के करोड़ों रुपये के उच्च मूल्य के लेन-देन पाए गए हैं। और अंततः सभी फंड कई फर्जी संस्थाओं और फर्जी लेन-देन के माध्यम से, असुरक्षित ऋण और दान के रूप में अब्दुल वहीद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, सहारनपुर के बैंक खाते में भेजे गए।

सभी ट्रस्टी मोहम्मद इकबाल के परिवार के सदस्य हैं, जिनमें वह स्वयं भी शामिल हैं। ट्रस्ट के फंड का इस्तेमाल बाद में सहारनपुर में जमीन खरीदने और वहां इमारत बनाने के लिए किया गया, ताकि ग्लोकल यूनिवर्सिटी नाम का विश्वविद्यालय संचालित किया जा सके। अवैध खनन से अर्जित 500 करोड़ रुपये से अधिक का इस्तेमाल जमीन खरीदने और विश्वविद्यालय की इमारत बनाने में किया गया। उक्त संपत्ति का वर्तमान बाजार मूल्य जमीन और इमारत सहित 4439 करोड़ रुपये है। फिलहाल मोहम्मद इकबाल फरार हैं और माना जा रहा है कि वह दुबई में हैं। उनके चार पुत्र और भाई वर्तमान में उनके खिलाफ दर्ज कई मामलों में जेल में बंद हैं।

आगे की जांच जारी है।